अनुसार जुलाई 2009 के बाद समस्त शोधार्थियों को पीएच.डी. उपाधि हेतु पंजीयन से पूर्व 6 माह का कोर्सवर्क करना होगा। यह कोर्स नियमित विद्यार्थी के रूप में करना होगा। आपसे आग्रह है कि सेवारत शिक्षकों को इस बाध्यता से मुक्त किया जाये।

12. **गैर अनुदानित शिक्षकों व शिक्षण संस्थाओं के संबंध में** :- राज्य में गैर अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के व्यापक प्रसार का होना राज्य के दीर्घकालीन हित में है। परन्तु गत शिक्षा सत्रों में गैर अनुदानित महाविद्यालय (तकनीकी महाविद्यालयों सहित) खोलने का क्रम जारी रहने से व्यवसायियों के लिए शिक्षा उच्च लाभ वाला उद्योग बन रहा है। इन शिक्षण संस्थाओं में यू.जी.सी. की अर्हताधारी शिक्षक को यू.जी.सी. के न्यूनतम वेतनमान से नीचे के वेतन पर कार्य कराना, अनियमित वेतन भुगतान, पूर्णत: अस्थायी सेवा, सभी प्रकार की वित्तीय व गैर वित्तीयसेवा शर्तों से वंचित कर कार्य कराना न तो राज्य की उच्च शिक्षा के हित में है एवं न ही शिक्षक सम्मान के अनुरूप है। अत: आपसे संगठन का विनम्र आग्रह है कि इन शिक्षकों के वेतन, वेतनमान व सेवा शर्तों संबंधी प्रावधान विश्वविद्यालय अधिनियमों, शिक्षा अधिनियमों तथा गैर राजकीय संस्था अधिनियम में यथोचित संशोधन कर लागू किये जायें। इन अधिनियमों की समीक्षा कर संस्थाओं का प्रभावी नियंत्रण एवं नियमन अपेक्षित है।

13. **विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करना** - यू.जी.सी. की अनुशंसा तथा निकटवर्ती राज्यों (उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेश) की भांति विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष करने का आग्रह है।

14. **यू.जी.सी. वेतनमान योजना के प्रावधानों के अनुरूप स्टेपिंग अप की व्यवस्था करना एवं अन्य विसंगतियाँ दूर करना** - यू.जी.सी. वेतनमानों के अनेक प्रावधानों के कारण अनेक प्रकरणों में वरिष्ठ शिक्षकों को कनिष्ठ शिक्षक की तुलना में कम वेतन प्राप्त हो रहा है। इस समस्या के निवारणार्थ यू.जी.सी. ने स्टेपिंग अप के लिए पृथक निर्देश एवं तालिकाएं जारी की हैं, जिन्हें राज्य में अभी तक लागू नहीं किया गया है। इन्हें लागू कराने के साथ-साथ वरिष्ठ व चयनित वेतनमानों में वेतन निर्धारण नियम 26 के अन्तर्गत करने से अनेक शिक्षकों को पदोन्नति से पूर्व में प्राप्त वेतन से कम वेतन प्राप्त होने जैसी विसंगतियाँ सरकार के ध्यान में लाई जाती रही है, परन्तु इन पर सार्थक कार्यवाही नहीं हो सकी है। आपसे आग्रह है कि इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही कर शिक्षकों के साथ न्याय करें।

15. **राज्य में उच्च शिक्षा सेवा संवर्ग का गठन** :- राज्य में राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षक राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम से नियंत्रित होते हैं। देश में उच्च शिक्षा का विस्तार एकसमान नियम, उपनियम, यू.जी.सी. अनुदान सेवा शर्तों इत्यादि को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि राज्य में राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा की भांति ही राजस्थान उच्च शिक्षा संवर्ग का गठन किया जाये। पूर्व में सरकार द्वारा इसका प्रारूप बनाने के बावजूद अभी तक गठन नहीं हो सका है। आपसे उच्च शिक्षा संवर्ग का गठन कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु आग्रह है।

इन मुख्य समस्याओं के अतिरिक्त भी अनेक समस्याएं हैं, जिन्हें समय-समय पर राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है। उपर्युक्त सहित इन सभी पर सरकार का सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदर्शित नहीं किये जाने से राज्य के शिक्षक आक्रोशित हैं। संगठन का अभी भी विश्वास है कि आप समुचित एवं न्यायोचित कार्यवाही कर शिक्षकों को न्याय प्रदान करेंगे एवं उनके सम्मान की रक्षा करेंगे।

सधन्यवाद!

(डॉ. ग्यारसीलाल जाट)
[अध्यक्ष रुक्टा (रा.)]

(डॉ. मधुरमोहन रंगा)
[महामंत्री रुक्टा (रा.)]